

वार्षिक रिपोर्ट

2022



इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: यू45309डीएल2021जीओआई391629

दिनांक 23.12.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए
इरकॉन अकलोलि-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन एएसईएल) की
वार्षिक रिपोर्ट की विषय-सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का परिचय	3
2.	अध्यक्ष का संबोधन	5
3.	निदेशक की रिपोर्ट	7
	❖ एमजीटी-9	18
	❖ एओसी-2	28
4.	कंपनी के वित्तीय विवरण	
	❖ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	29
	❖ तुलन पत्र	44
	❖ लाभ और हानि विवरण	45
	❖ इक्विटी परिवर्तन विवरण	46
	❖ रोकड़ प्रवाह विवरण	47
	❖ लेखों व अन्य विवरणात्मक सूचना पर नोट	48
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	101

कंपनी परियोजना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारतमाला परियोजना (चरण II-पैकेज XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 तक (शिरसाड से अकलोली खंड - वड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) आठ लेन पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण

निदेशक मंडल

श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष
श्री पराग वर्मा, निदेशक
श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा, निदेशक
श्री मसूद अहमद, निदेशक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स राजेन्द्र के. गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कंपनी के सीपीसी संविदाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

सम्पर्क अधिकारी

श्रीमती अर्पिता बासु रॉय
अनुपालन अधिकारी
ईमेल : cospv.ircon@gmail.com
दूरभाष: 26545000

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

निदेशक मंडल



श्री अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष



श्री पराग वर्मा
निदेशक



श्री मसूद अहमद
निदेशक



श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा
निदेशक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेरधारकों,

इरकॉन अकलोली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएसईएल) की प्रथम (1) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड के सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पहले से ही आपके पास हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ। इस एजीएम में भाग लेने को मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसाड से अकलोली खंड - वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन के पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है। एनएचएआई द्वारा जारी अवार्ड पत्र में निर्धारित शर्त के अनुसार, इरकॉन ने रियायत समझौते और उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में आपकी कंपनी का निगमन किया है।

मैं, आपके सामने इरकॉनएसईएल की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

इरकॉनएसईएल ने दिनांक 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है और परियोजना की रियायत अवधि में, नियत तारीख से 548 दिन की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होने वाले 15 साल की संचालन अवधि शामिल है।

इरकॉन को 1060.23 रूपए के ईपीसी मूल्य जमा लागू जीएसटी पर पांच (05) वर्षों के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था।

कुल परियोजना बोली लागत 1203.67 करोड़ रूपए है, जिसमें से 722.20 करोड़ रूपए को 80:20 के अनुपात में ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा से 577.77 करोड़ रूपए का सावधि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। वित्तीय समापन सितंबर, 2022 तक प्राप्त होने की संभावना है और उसके बाद, एनएचएआई द्वारा नियत तारीख की घोषणा की जाएगी।

वर्तमान में, यह परियोजना, विकास अवधि में है और निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए नियत तिथि प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है। निर्माण पूरा होने पर परिचालन और रखरखाव का चरण शुरू होगा।

अनुपालन और प्रकटीकरण

निगमित शासन: कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के अंतर्गत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विशेष कार्य वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ये आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन (एमओयू): आपकी कंपनी ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने के लिए इरकॉन से अनुरोध किया है।

आभारोक्ति

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), एनएचएआई, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और उन सभी लोगों द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वर्ष के दौरान हमारा समर्थन और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण, विवेक और कड़ी मेहनत के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में, मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हम आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

कृते एवं की ओर से
इरकॉन अकलौली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
अध्यक्ष

डीआईएन : 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट

सदस्यों,

आपके निदेशकों को दिनांक 23 दिसंबर, 2021 (यथा निगमन की तिथि) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए **इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएसईएल)** के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित **प्रथम वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

1. **व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति :**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **इरकॉन एसईएल** को दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारतमाला परियोजना (चरण II-पैकेज XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 तक (शिरसाड से अकलोली खंड -वड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) आठ लेन पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है।

इरकॉनएसईएल ने दिनांक 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है और वर्तमान में निर्धारित समय के भीतर वित्तीय समापन (अर्थात् रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 150 दिन या बाद में एनएचएआई द्वारा विस्तारित ऐसी अन्य अवधि) प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान में, परियोजना विकास चरण में है, और निर्माण शुरू करने के लिए नियत तिथि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। निर्माण पूरा होने पर परिचालन और रखरखाव का चरण शुरू होगा। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 548 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा तय की जाने वाली) और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होने वाली 15 वर्ष की संचालन अवधि शामिल है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में, इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, वित्तीय मॉडल के अनुसार परियोजना की कुल लागत 1203.67 करोड़ रूपए है। परियोजना बोली लागत के 40% अर्थात् 481.47 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति, निर्माण चरण के दौरान एनएचएआई द्वारा की जाएगी और शेष 60% अर्थात् 722.20 करोड़ रूपए वार्षिकी के रूप में निर्माण के बाद प्राप्य होगी, जिसे निर्माण के दौरान 80:20 के अनुपात में ऋण और इक्विटी के मिश्रण द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। तदनुसार, आपकी कंपनी 722.20 करोड़ रूपए की परियोजना लागत का वित्तपोषण 577.77 करोड़ रूपए के ऋण द्वारा और 144.43 करोड़ रूपए की इक्विटी के रूप में करेगी।

आपकी कंपनी परियोजना के निष्पादन के लिए परियोजना के वित्तपोषण हेतु बैंक ऑफ बड़ोदा (बीओबी) से 577.77 करोड़ रूपए तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। ऋण राशि के लिए स्वीकृति पत्र शीघ्र ही लौटाए जाने की उम्मीद है।

2. वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किया है।

दिनांक 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि लाख रूपए में)

क्र.सं	विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	5.00
2.	अन्य इक्विटी (रिजर्व और अतिरेक सहित)	(0.06)
3.	निवल परिसंपत्ति	4.94
4.	कर्ज (वर्तमान परिपक्वता सहित)	-
5.	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	-
6.	कुल संपत्ति और देनदारियां	10.74
7.	संचालन से राजस्व	1.74
8.	अन्य आय	-
9.	कुल आय (7) + (8)	1.74
10.	कर पूर्व लाभ	-
11.	कर पश्चात लाभ	(0.06)
11.	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति 10 रूपए के अंकित मूल्य पर)	
	(i) मूल	(0.12)
	(ii) विलयित	(0.12)

* **नोट:** कंपनी को दिनांक 23 दिसंबर 2021 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है और यह कंपनी के निगमन की पहली अवधि है इसलिए पिछली अवधि के संबंधित आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

3. लाभांश और आरक्षण निधि का विनियोग:

आपकी कंपनी की परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है, इसलिए, कंपनी ने अपना वाणिज्यिक परिचालन आरंभ नहीं किया है और कोई परिचालन आय/लाभ नहीं है, इसलिए आपकी कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी राशि को आरक्षित निधि में ले जाने का प्रस्ताव नहीं करती है। परियोजना की वर्तमान स्थिति, जो प्रारंभिक चरण में है, निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन अवधि के लिए इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" शीर्ष के तहत प्रतिधारित आय के रूप में परिलक्षित किया गया है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2022 को (0.06 लाख रूपए) की प्रतिधारित आय है।

4. शेयर पूंजी / डीमैटेरियलायजेशन:

आपकी कंपनी को 5 लाख रूपए की अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था, जिसमें प्रत्येक 10/- रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉन एएसईएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

चूंकि, कंपनी के निगमन अर्थात 23 दिसंबर, 2021 से, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

दिनांक 22.01.2019 के कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 के नियम 9क के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के नाते कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

आपकी कंपनी को दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को निगमित किया गया है और अभी तक इसका परिचालन आरंभ नहीं किया है। इसलिए, दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (1.11 लाख रूपए) है।

6. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

7. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक मंडल:

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों की श्रेणी, नाम और पदनाम

इरकॉन ने कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों को नामित किया है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित गैर-कार्यकारी (नामित) निदेशक शामिल हैं:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या कार्यमुक्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष	05308809	-
श्री पराग वर्मा, निदेशक	05272169	-
श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा निदेशक	08517013	-
श्री मसूद अहमद, निदेशक	09008553	-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-152(6) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशक आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। श्री अशोक कुमार गोयल, आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। निदेशक मंडल, निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है और उनका संक्षिप्त विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

8. **बोर्ड की बैठकें:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की तीन (3) बैठकें अर्थात् दिनांक 24.12.2021, 17.01.2022 और 08.02.2022 को आयोजित की गई थीं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
24.12.2021	4	4
17.01.2022	4	4
08.02.2022	4	4

नीचे दी गई तालिका समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित	वि.व 2021-22 के दौरान आयोजित कुल बैठक में उपस्थिति के लिए दावेदार	वि.व 2021-22 में उपस्थिति	उपस्थिति %
	24.12.2021	17.01.2022	08.02.2022				
श्री अशोक कुमार गोयल	√	√	√	लागू नहीं	3	3	100
श्री पराग वर्मा	√	√	√	लागू नहीं	3	3	100
श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा	√	√	√	लागू नहीं	3	3	100
श्री मसूद अहमद	√	√	√	लागू नहीं	3	3	100

स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासन निदेशकों इरकॉन एएसईएल पर लागू नहीं हैं।

इरकॉनएएसईएल , एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी है और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है, इसलिए, इसे अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा की अपेक्षा, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

- क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।
- ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।
- ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- घ) वार्षिक लेखा विवरण “निरंतर” आधार पर तैयार किए गए हैं।
- ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

10. वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

11. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण):

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

12. सांविधिक लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2022 के सीएजी पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/दिल्ली, आईआरएएसईएल (1)/1944 के तहत दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए मैसर्स राजेंद्र के गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को, पहले सांविधिक

लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत आवश्यक लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं और दिनांक 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) से समीक्षा प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

14. लागत रिकॉर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव का प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

15. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के तहत कंपनी सचिव से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

वर्ष के दौरान, धारक कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

18. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

20. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

21. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

प्रत्येक कंपनी, जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, निवल संपत्ति 500 करोड़ रूपए या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रूपए या उससे अधिक का कारोबार है या 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, उसके लिए तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है।

चूंकि, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगमित किया गया था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी पर लागू नहीं थे।

22. कर्मचारियों के विवरण:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉन एएसईएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम-5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

23. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

24. सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

26. कंपनी के गोडंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के गोडंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

27. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। कंपनी का निगमन दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को किया गया था और अभी तक इसका परिचालन आरंभ नहीं हुआ है। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया जाएगा।

28. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

29. सतर्कता तंत्र:

सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

30. सूचना का अधिकार:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

31. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभावी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

32. सचिवीय मानक

इस अवधि के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

33. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

34. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

सीपीएसई की सहायक कंपनियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे दिनांक 10 मार्च, 2022 के समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार अपनी धारक कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एसपीवी के रूप में निगमित, आपकी कंपनी, इरकॉन (धारक कंपनी) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने इरकॉन से एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट देने का अनुरोध किया।

35. आभारोक्ति:

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) और सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके समर्थन के लिए को धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों, को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन अकलौली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	यू45309डीएल2021जीओआई391629
2.	पंजीकरण तिथि	23 दिसंबर 2021
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन अकलोली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड
4.	कंपनी की क. श्रेणी ख. उपश्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 दूरभाष: 011-26545787 ई-मेल आईडी : cosecy@ircon.org
6.	कंपनी सूचीबद्ध (हां/नहीं)	नहीं
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां:

(कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं)।

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	महाराष्ट्र राज्य में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के शिरसाड से अकोली खंड - स्पर के निर्माण संबंधी सेवाएं प्रदान करना निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	एल45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100%*	अनुच्छेद 2(46)

* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 06 नामितियों के पास हैं ।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

I) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [23 दिसंबर 2021 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2022 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	50000	50000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी									
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	50000	50000	100%	-

ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	50000	50000	100%	-

टिप्पणियाँ:

1. इरकॉन एएसईएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
2. इरकॉन के पास प्रति 10 रूपए 49400 शेयर हैं और प्रति 10 रूपए के 600 शेयर प्रत्येक 6 नामित शेयरधारकों के पास "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से" धारित हैं अर्थात प्रत्येक नामित शेयरधारक के पास 100 शेयर हैं।

II) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में 23 दिसंबर 2021 को, धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में 31 मार्च 2022 को धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	50000	100%	शून्य	50000	100%	शून्य	-
	कुल	50000	100%	शून्य	50000	100%	शून्य	-

* प्रमोटरों की शेयरधारिता: दिनांक 31 मार्च 2022 को इस्कॉन और उसके नामितियों की शेयरधारिता की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

III) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

IV) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों के अलावा):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

V) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	23 दिसंबर 2021 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में 31 मार्च 2022 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

वर्ष के आरंभ में	शून्य
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण /बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	
वर्ष के अंत में	

*"इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से" कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल, श्री पराग वर्मा, श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा और श्री मसूद अहमद द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर धारित हैं।

VI) ऋणग्रस्तता - कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रूपए लाख में)

विवरण	जमा राशियों रहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	-	-	-	-
* आवर्धन	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	लागू नहीं	
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

* इरकॉन एएसईएल के पास धारक कंपनी "इरकॉन" द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक हैं। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया बताएं कुल (1)	लागू नहीं	
2	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया बताएं		

कुल (2)	
कुल (ख)=(1+2)@	
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	
अधिनियम के अनुसार समय सीलिंग	

@ दिनांक 23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में सभी अंशकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। अंशकालीन निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक	कुल
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	लागू नहीं	
2	स्टॉक ऑप्शन		
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में		
5.	- अन्य, बताएं...		
	- निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)		
	-चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति पश्चात)		
	- सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)		
	कुल		

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के अनुसार किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति नहीं की है।

VIII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/ अपराधों की आवृत्ति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी / एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					

जुर्माना		-	-	-	-
दंड		-	-	-	-
कंपाउंडिंग		-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			-		
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड			-		
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन अकलोली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा

शेयरधारिता की सूची (31 मार्च 2022 तक)

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रूपए)
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	49,400
2	अशोक कुमार गोयल	100
3.	सुभाष चंद	100
4.	पराग वर्मा	100
5.	मुगुंथन बोजू गौड़ा	100
6.	मसूद अहमद	100
7.	रितु अरोड़ा	100

फॉर्म नं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

दिनांक 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म लेंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. आर्म लेंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार का ब्यौरा : शून्य
2. आर्म लेंथ आधार पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं या संविदाओं का ब्यौरा : निम्नानुसार:

क्र.सं.	संविदा/ व्यवस्थाओं और संव्यवहारों की अवधि की प्रकृति	संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	पट्टा करार (इरकॉन के कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेना)	एक वर्ष (01.02.2022 से 31.03.2023)*	पट्टा करार दिनांक 18 फरवरी, 2022 को 21,236/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है।*	-	शून्य (आज की तिथि को)

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन अकलोली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड ("कंपनी") के दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा 23 दिसंबर, 2021 (यथा निगमन की तिथि) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एस") के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की कार्यप्रणाली और 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए के लिए हानि और कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के इंड एस वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दों पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नहीं है।

इंड एस वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी शामिल है, लेकिन इंड एस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में तथ्यात्मक दुर्विवरण है, तो हमें उसे प्रकट करना अपेक्षित है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोड़ंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोड़ंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोड़ंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रक्रियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोडिंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर

आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोडंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। भौतिकता, इंड-एएस वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभवना उत्पन्न करता है कि वित्तीय विवरणों के युक्तिसंगत ज्ञानधारक उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय, प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम ये भी उल्लेख करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, समेकित की गई विवरण के शासन को प्रभारित करने और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को सम्प्रेषित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के संबंध में युक्तिसंगत हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को प्रभारित करते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुबंध-क** के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

- (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, इस अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ.) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (छ) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-197 का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
 - डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।
 - ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।
 - (क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई द्वारा, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है, और

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

v. कंपनी ने इस अवधि के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी अंतिम या अंतरिम लाभांश का प्रस्ताव, घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए सेप प्रणाली का प्रयोग कर रही है। हमें दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
(ii)	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी नहीं, कंपनी में, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण देनदारों द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना या ऋण/उधार/ ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अभिलेखों की जांच के अनुसार, 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए

और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।
---	---

कृते राजेन्द्र के गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 001457एन

ह/-
आर.के.गोयल
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 06154

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन - 22006154जेईयूटीएल7599

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

(इरकॉन अकलोली शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल) की समतिथि रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ-1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा लेखाबहियों और रिकार्डों की जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:-

- i. (क) कंपनी के पास लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां और प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3(i)(क), (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- ii. (क) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। इस प्रकार, इस आदेश का खंड 3(ii)क कंपनी पर लागू नहीं है।
(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।
- iii. कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ना ही कंपनियों, फर्मों या कोई अन्य पक्षों को सीमित देयता भागीदारी के लिए रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, इसके परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iii)(क)(ख)(ग)(घ) और (ड.) लागू नहीं होता है।
- iv. कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 के प्रावधानों के अनुरूप कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, निवेश नहीं किया है और कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3(iv), कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- v. कंपनी ने किसी भी डिपॉजिट या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जनता से प्राप्त जमा राशि माना जाता है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान, और उसके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- vii. सांविधिक देयों के संबंध में:
(क) हमारे मतानुसार, कंपनी आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू होने वाले अन्य भौतिक सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों

के पास जमा करने में नियमित रही है। माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि और कोई अन्य सांविधिक बकाया देय नहीं है जो दिनांक 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, माल एवं सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर के संबंध में कोई राशि देय नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण दिनांक 31 मार्च, 2022 तक जमा नहीं किया गया है।

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

ix. (क) कंपनी ने किसी देनदार से कोई ऋण और अन्य उधार नहीं लिए हैं, इसलिए, इस आदेश के खंड 3(ix)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इस अवधि की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ड.) कंपनी का सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और कंपनी का सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. क) कंपनी ने इस अवधि के दौरान इनीशियल पब्लिक आफर या भावी पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) इस अवधि के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण तरह या आंशिक रूप से) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी द्वारा कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं की गई ।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इस प्रकार, आदेश के खंड 3 (xii)(क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।
- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होने अपेक्षित नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xiv)(क) और (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xv. हमारे मतानुसार, इस अवधि के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं
- xvi. हमारे मतानुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख) (ग) और (घ) लागू नहीं हैं।
- xvii. कंपनी का निगमन दिनांक 23 दिसंबर 2021 को हुआ है और कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल इस अवधि के दौरान को रोकड़ हानि नहीं हुई है।
- xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xix. वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख

करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

- xx. कंपनी ने अपने निगमन के बाद से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत निर्धारित सीमाओं को पार नहीं किया है और इसलिए, कंपनी को एकत अधिनियम के खंड 135 के उपखंड (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड-3 (xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग, इस अवधि के लिए लागू नहीं है।
- xxi. कंपनी का सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश नहीं है और इसलिए, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते राजेन्द्र के गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 001457एन

ह/-
आर.के.गोयल
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 06154

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन - 22006154जेईयूटीएल7599

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-143 के उप खंड-3 के खंड-(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 23 दिसंबर 2021 (यथा निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशकलित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते राजेन्द्र के गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 001457एन

ह/-
आर.के.गोयल
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 06154

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

यूडीआईएन - 22006154जेईयूटीएल7599

तुलन पत्र

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:-यू45309डीएन2021जीओआई391629

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न कहा गया हो)

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 को
परिसंपत्तियां		
गैर-चालू परिसंपत्तियां		
(क) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	2	0.05
(ख) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	3	2.31
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		2.36
चालू परिसंपत्तियां		
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	4	
(i) नकद और नकद समकक्ष	4.1	3.89
(ii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4.2	1.74
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	5	2.75
कुल चालू परिसंपत्तियां		8.38
कुल परिसंपत्तियां		10.74
इक्विटी और देयताएं		
इक्विटी		
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	6	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	7	(0.06)
कुल इक्विटी		4.94
देयताएं		
गैर चालू देयताएं		
(क) वित्तीय देयताएं		
(i) देय व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशियां		-
कुल गैर-चालू देयताएं		-
चालू देयताएं		
(ख) वित्तीय देयताएं	8	
(i) देय व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशियां		-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.1	5.69
(ग) चालू कर देयता (शुद्ध)	2	0.11
कुल चालू देयताएं		5.80
कुल इक्विटी और देयताएं		10.74

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

1
1 से 29

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 001457एन
ह/-

आर.के. गोयल
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या: 06154

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2022

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
मसूद अहमद
(निदेशक)
(डीआईएन:-09008553)

ह/-
मुगुंथन बोजू गौड़ा
(निदेशक)
(डीआईएन:-08517013)

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:- यू45309डीएल2021जीओआई391629

23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	नोट	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
राजस्व		
प्रचालन से राजस्व	9	1.74
अन्य आय		-
कुल राजस्व (क)		1.74
व्यय		
कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
वित्तीय लागतें	-	-
अन्य व्यय	10	1.74
कुल व्यय (ख)		1.74
कर पूर्व लाभ/(हानि) (क-ख)		-
कर व्यय	2	
चालू कर		0.11
आस्थगित कर (शुद्ध)		(0.05)
अवधि के लिए लाभ/(हानि)।		(0.06)
अन्य व्यापक आय/(हानि)		
क) मर्दे, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
ख) मर्दे, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-
उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर का शुद्ध)		-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		(0.06)
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रु. 10)	13	
मूल		(0.12)
विलयित		(0.12)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

1 से 29

मारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 001457एन

ह/-

आर.के. गोयल

ह/-

साझेदार

मसूद अहमद

आईसीएआई सदस्यता संख्या: 06154

(निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली

(डीआईएन:-09008553)

दिनांक : 17 मई, 2022

ह/-

मुगुंथन बोजू गौड़ा

(निदेशक)

(डीआईएन:-08517013)

इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:- यू45309डीएल2021जीओआई391629

23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022 को
आरंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान परिवर्तन	5.00
अंतिम शेष	5.00

(ख) अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक	अन्य वृहत आय	कुल
	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2021 को शेष	-	-	-
अवधि के लिए कुल लाभ	(0.06)	-	(0.06)
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(0.06)	-	(0.06)
31 मार्च, 2022 को शेष	(0.06)	-	(0.06)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 001457एन

ह/-

आर.के. गोयल

साझेदार

आईसीएआई सदस्यता संख्या: 06154

1

1 से 29

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

मसूद अहमद

(निदेशक)

(डीआईएन:-09008553)

ह/-

मुगुंथन बोजू गौड़ा

(निदेशक)

(डीआईएन:-08517013)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2022

इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:- यू45309डीएल2021जीओआई391629

23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ		-
निम्न के लिए समायोजन:		
अवमूल्यन और परिशोधन		-
ब्याज आय		-
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनिक लाभ		-
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव:		
अन्य गैर-चालू देयता में वृद्धि/(कमी)		-
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)		5.69
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(1.74)
अन्य चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(5.06)
परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह	(क)	(1.11)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह	(ख)	-
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के नए अंक से आय		5.00
वित्तपोषण गतिविधियों में/(प्रयोग किया गया) से शुद्ध नकदी प्रवाह	(ग)	5.00
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(क +ख +ग)	3.89
अवधि की आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		-
31 मार्च 2022 को नकद और नकद समतुल्य		3.89

टिप्पणियाँ:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं।
- रोकड़ प्रवाह विवरण को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एस-7 रोकड़ प्रवाह विवरण के तहत अप्रत्यक्ष विधि से तहत तैयार किया गया है।
- नकद प्रवाह के उपरोक्त विवरण में शामिल नकद और नकद समकक्षों और नकद और नकद समकक्षों के घटकों का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2022 को
नकद और नकद समकक्षों के घटक	
उपलब्ध राशि	-
चालू खाते में बैंकों के साथ	3.89
तुलनपत्र और रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार कुल कैश नकद और नकद समकक्ष	3.89

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 001457एन

ह/-

आर.के. गोयल

ह/-

साझेदार

मसूद अहमद

मुगुंथन बोजू गौड़ा

आईसीएआई सदस्यता संख्या: 06154

(निदेशक)

(निदेशक)

(डीआईएन:-09008553)

(डीआईएन:-08517013)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2022

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

दिनांक 23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित और निगमित है और भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी (सीआईएन: यू45309डीएल2021जीओआई391629) भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित है।

यह कंपनी उस समय अस्तित्व में आई, जब इरकॉन को भारतमाला परियोजना (चरण- II - पैकेज-XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में "किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसाड से अकलोली खंड - वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर सहित) तक आठ लेन पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया, जिसका निगमन दिनांक 23.12.2021 को किया गया। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 27 जनवरी, 2022 को 1124 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य के लिए एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत की अवधि, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्ष है और निर्माण अवधि, नियत तिथि से 548 दिन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकड़ों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोड़कर।

वित्तीय विवरणों को दिनांक 17.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

ख. तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक-) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एस अनुपालन

अनुसूची-III) की अनुसूची-III के भाग-II, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :-

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

1 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो

- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

2.1 स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

- क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।
- ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।
- ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
- घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।
- ड) स्वीकृति मापदंड पूरे किए जाने पर मदों को अलग-अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

2.2 अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूजों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

2.3 मूल्यहास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर-आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3-6
कार्यालय उपकरण	5 -10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहन	8-10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यहास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यहास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है। स्थायी पट्टा आधार पर अधिग्रहीत पट्टेवाली भूमि को परिशोधित नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिग्रहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यहास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

मूल्यहास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में किए गए उल्लेख के अनुसार “सामान्यतः किसी परिसम्पत्ति का अवशेष मूल्य परिसम्पत्ति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।”

2.4 स्वीकृति समाप्ति

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते हैं। किसी परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने वाला लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पत्ति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पत्ति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पत्ति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पत्ति ऐसी रोकड़ उत्पत्ति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पत्ति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पत्ति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूली योग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पत्ति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पत्ति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि के

अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पत्ति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पत्ति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यहास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

4 राजस्व स्वीकृति

सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का परिशिष्ट-घ) कंपनी, सार्वजनिक सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली अवसंरचना (सड़क) का निर्माण करती है और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस अवसंरचना का परिचालन और अनुरक्षण करती है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एस 115 राजस्व के परिशिष्ट-घ के तहत, इस व्यवस्था को प्रतिफल की प्रकृति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार करती है कि उसके पास निर्माण सेवाओं और परिचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता (“एनएचएआई”) से या उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का, बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

कंपनी इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाओं से राजस्व को स्वीकार कराती है और उनका मापन करती है।

कंपनी एक ही समय या उसके आसपास के समय में समान ग्राहकों के साथ प्रविष्ट दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के संयोजित करती है और उन संविदाओं के लिए एकल संविदा के रूप में लेखांकन करती है, यदि संविदाएं एकल कामशियल उद्देश्य या एक संविदा में भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर करती है के साथ पैकेज के रूप में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में निष्पादित हो।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे

जीएसटी और इसे परिवर्ती धनराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। कंपनी वेरिबल दृष्टिकोण हेतु राजस्व की स्वीकार करती है, जब यह संभावित हो कि संचित राजस्व की राशि में व्यापक व्यतिक्रम की संभावना है। कंपनी सर्वाधिक संभावित राशि विधि का प्रयोग करके वेरिबल दृष्टिकोण पर राजस्व की राशि का अनुमान निर्धारित करता है।

संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।
- ख) इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
- ग) इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है। तथापि, जहाँ कंपनी किसी निष्पादन बाध्यता के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को संभावना है कि वह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूलेगी, कंपनी ऐसे समय तक किए गए लागतों की सीमा तक ही राजस्व

को स्वीकार करेगी। यह यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को माप सकता है।

संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

4.1 संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात् प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व :** संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

4.2. अन्य आय

- लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।
- विविध आय को तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है!

5 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पत्ति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

6 कर

6.1 चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

6.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

7. विदेशी मुद्राएं

7.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें इकाई संचालित होती है ("कार्यात्मक मुद्रा")। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भी है।

7.2 लेन-देन और शेष राशि

लेनदेन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में लेखांकित किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर (देयताओं के लिए अंतिम बिक्री दर और परिसंपत्ति के लिए अंतिम खरीद दर) में परिवर्तित कर दिया जाता है, गैर-मौद्रिक वस्तुओं को एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है जिसे ऐतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है, और इसका उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है संव्यवहार की तिथि पर इसे विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान से सृजित होने वाले विनिमय अंतर, या रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पुनर्कथन, उनसे भिन्न है, जिन पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था और उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ये विनिमय अंतर शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं।

8 कर्मचारी लाभ

8.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

8.2 सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

9 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड और रोकड समतुल्य में उपलब्ध रोकड, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

10 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें उन्हें शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है।

11 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

11.1 प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में, अनुरक्षण, विधिक मामलों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदाएं और अन्य शामिल हैं।

11.2 दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पत्तियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

11.3 आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

11.4 आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

12 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

12.1 पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

12.1.1 उपयोग-अधिकार संपत्ति

कंपनी, पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात्, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग-अधिकार संपत्ति को स्वीकार करती है। उपयोग-अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है और इसमें किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनःमाप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग- अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान में से कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास, सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व, कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है।

उपयोग-अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं।

12.1.2 पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल हैं। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान

(यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात् पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पत्ति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

12.1.3 अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात् वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पत्ति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

12.2 पट्टेदार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सृजित किराया आय को पट्टे की शर्तों के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर लेखांकित किया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। एक परिचालन पट्टे हेतु वार्ता और व्यवस्था में किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है और पट्टे की अवधि में किराये की आय के समान आधार पर मान्यता दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

13 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

13.1 वित्तीय परिसम्पतियां

13.1.1 प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना की गई परिसम्पतियों के अतिरिक्त) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

13.1.2 अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

13.1.2.1 परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

- क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है, और
- ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीटी) का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यतः व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

13.1.2.2 अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है:

- क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

13.1.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

13.1.2.4 इक्विटी उपकरण

इंड एस-109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण-वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते हैं तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

13.2 वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस-109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

- क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।
 - ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।
 - ग. इंड एएस-116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।
 - घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस-115 के दायरे में है।
 - ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
 - च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए 'सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल दृष्टिकोण की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रेक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता

हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता गि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पत्ति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति “अन्य व्यय” शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:—

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर “संचित परिशोधन राशि” के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पत्ति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पत्ति नहीं की गई है।

13.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृत

वित्तीय परिसंपत्तियां (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तिया के समूह का भाग) को अस्वीकार केवल तब किया जाता है जब परिसंपत्तियों से रोकड प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियां अंतरित हो जाती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के सभी जोखिम और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल भी अंतरित हो जाता है।

वह मूल्य और प्राप्त/प्राप्य लाभ राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

13.4 वित्तीय देयताएं

13.4.1 प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

13.4.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

13.4.2.1 लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

13.4.2.1 परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

13.4.3 वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

13.4.4 वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस-109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

13.4.5 वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी-कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

13.4.6 वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

14 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:—

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

15. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा

निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यहास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एस 105 “बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां” के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यहास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यहास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर-चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

16. प्रमुख पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

17. प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। सीओडीएम, संसाधनों को आवंटित करने और कंपनी के प्रचालनिक सेगमेंट के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कराने के लिए उत्तरदायी है।

18 प्रति शेयर आमदनियां

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

19 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

19.1 ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

19.2 आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

19.4 वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

19.5 कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

19.6 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पत्ति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

19.7 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तों पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

19.8 पट्टा – संवर्धात्मक ऋण दर का निर्धारण

कंपनी तत्परता के साथ पट्टे में निर्धारित ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकती है। इसलिए, वह पट्टा देयताओं का निर्धारण करने के लिए अपने संवर्धात्मक ऋण ब्याज (आईबीआर) का प्रयोग करती है। आईबीआर वह ब्याज दर है जो कंपनी को समान अवधि में ऋण हेतु भुगतान करना होता है, और समान प्रतिभूति के साथ, जिसका प्रयोग समान आर्थिक वातावरण में परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक निधि के लिए होता है।

19.9 नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण-पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के

विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात् महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

19.10 राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति इस तथ्य पर केन्द्रित है कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण

- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक

निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

इरकॉन अककोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:- यू45309डीएल2021जीओआई391629

23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

2. आस्थगित कर संपत्ति (निवल), आयकर और वर्तमान कर देयता (निवल)

क) 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
वर्तमान आयकर	
वर्तमान आयकर शुल्क	0.11
आस्थगित कर	
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और उत्क्रमण के संबंध में	(0.05)
लाभ और हानि खंड के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	0.06

ख) 31 मार्च 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान:

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
1. कर पूर्व लाभ/(हानि)	-
2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	25.17%
3. लेखांकन लाभ पर कर	-
4. कर समायोजन का प्रभाव	
(i) व्यय पर कर कटौती योग्य नहीं:	
(क) निगमन पूर्व व्यय	0.11
(ii) आस्थगित कर व्यय / (आय)	(0.05)
कर समायोजन का कुल प्रभाव	0.06
5. लाभ और हानि के विवरण में सूचित आयकर व्यय (3+4)	0.06
6. प्रभावी कर दर $6 = 5/1$	0.00%

ग) तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में

आस्थगित कर संपत्तियों और (देयताओं) के घटक

विवरण	तुलन पत्र 31 मार्च 2022	लाभ हानि का विवरण 31 मार्च 2022
निगमन पूर्व व्यय	0.05	(0.05)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	0.05	(0.05)

घ) तुलन पत्र में परिलक्षित आस्थगित कर संपत्ति:

विवरण	31 मार्च 2022 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति	0.05
विलंबित कर देयता	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं) (निवल)	0.05

ङ) आस्थगित कर (देयताओं)/परिसंपत्तियों का समाधान:

विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष (निवल)	लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2022 को शेष
निगमन पूर्व व्यय	-	0.05	-	0.05
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	-	0.05	-	0.05

वर्तमान कर देयता (शुद्ध):

विवरण	31 मार्च 2022 को
कर का प्रावधान	0.11
कुल	0.11

3 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022 को
(अरक्षित और वसूली योग्य) पूर्व प्रदत्त व्यय	2.31
कुल	2.31

4 चालू परिसंपत्तियां - वित्तीय परिसंपत्तियां

4.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31 मार्च 2022 को
बैंकों में शेष राशि: चालू खाते में	3.89
कुल	3.89

4.2 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022 को
(अरक्षित और वसूलीयोग्य) अनुबंध संपत्ति: एससीए के तहत बिल न किया गया राजस्व	1.74
कुल	1.74

5 अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022 को
(अरक्षित और वसूलीयोग्य) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	2.75
कुल	2.75

6 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022 को
अधिकृत शेयर पूंजी	-
रु. 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	5.00
जारी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त शेयर	-
रु. 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर	5.00
कुल जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से प्रदत्त शेयर पूंजी	5.00

(क) प्रमोटर की हिस्सेदारी

विवरण	अवधि के अंत में शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर			अवधि के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च, 2022 तक	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	50,000	100%	-
अवधि के अंत में बकाया		50,000	100%	-

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की सं.	रूपए लाख में
अवधि की आरंभ में	-	-
अवधि में जारी किया गया	50,000	5.00
अवधि के अंत में बकाया	50,000	5.00

(ग) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार

(i) मतदान

कंपनी के पास 10 रूपए प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का प्रतिशत
प्रति 10 रूपए के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके नामांकित व्यक्ति	50,000	100%

(ड.) धारक कंपनी "मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड" सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसके पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं।

7 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2022 को
प्रतिधारित आय	(0.06)
कुल	(0.06)

i) संचलन निम्नानुसार :

प्रतिधारित आय

विवरण	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक शेष	-
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	(0.06)
अंतिम शेष	(0.06)

ii) प्रकृति और उद्देश्य:

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती है।

8 चालू देयताएं - वित्तीय देनदारियां

चालू देयताएं - अन्य वित्तीय

8.1 देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2022 को
अरक्षित	
धारक कंपनी को देय	5.44
वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क देय	0.25
कुल	5.69

9 प्रचालन से राजस्व

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
प्रचालन से राजस्व अनुबंध राजस्व	1.74
कुल	1.74

10 अन्य व्यय

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे नोट (i) देखें)	0.25
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	0.12
पूर्व-निगमन व्यय	0.49
किराया	0.50
बैंक प्रभार	0.38
कुल	1.74

(i) लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	23.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु
लेखापरीक्षक के लिए भुगतान लेखा परीक्षक के रूप में: - लेखापरीक्षा शुल्क	0.25
अन्य क्षमता में: - अन्य सेवाएं	-
- व्यय की प्रतिपूर्ति	-
कुल	0.25

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन:-यू45309डीएल2021जीओआई391629

23 दिसंबर 2021 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण
(सभी राशि भारतीय रुपये लाख में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

11. भारतीय लेखांकन मानक-21 के अनुसार प्रकटीकरण 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव' लाभ और हानि के विवरण में विनिमय अंतर (शुद्ध) जमा/नामे की गई राशि शून्य है।

12. संबंधित पक्ष संव्यवहार

भारतीय लेखांकन मानक 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

- क) संबंधित पक्षों की सूची
- (i) धारक कंपनी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
- (ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)
अंशकालीन और गैर कार्यपालक निदेशक

नाम	पद
श्री अशोक कुमार गोयल (23/12/2021 से प्रभावी)	अध्यक्ष
श्री पराग वर्मा (23/12/2021 से प्रभावी)	निदेशक
श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा (23/12/2021 से प्रभावी)	निदेशक
श्री मसूद अहमद (23/12/2021 से प्रभावी)	निदेशक

ख) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
1) प्रतिपूर्ति व्यय			0.87
2) किराया व्यय (जीएसटी सहित)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.50
3) इक्विटी शेयर जारी करना			5.00

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष राशियां निम्नानुसार हैं:

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को
रिपोर्टिंग तिथि को देय शेष	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	5.44

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के नियम और शर्तें

- संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समान है, जो आर्म लेंथ आधार पर निष्पादित संव्यवहार हैं। रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित पक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ये शेष राशि ब्याज मुक्त हैं।

13. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के कारण अवधि के लिए लाभ को विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना, इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जो सभी के रूपांतरण पर जारी किए जाएंगे, के प्रभाव पर विचार करने के बाद इक्विटी धारकों के कारण अवधि के लिए लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों में मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर।

(i) मूल और विलयित आय प्रति शेयर (रुपए में)

विवरण	नोट	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
इक्विटी धारकों के कारण लाभ (लाख रुपये में)	(ii)	(0.06)
इक्विटी शेयरों की संख्या		50,000
अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	50,000
प्रति शेयर आय (मूल)		(0.12)
प्रति शेयर आय (विलयित)		(0.12)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00

विवरण	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(0.06)

(iii) इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (डिनॉमिनेटर के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	-
अवधि के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	50,000
	50,000
विलयन का प्रभाव:	
जमा: अवधि के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारत औसत सं.	
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारत औसत सं.	50,000

14. परिसंपत्तियों की हानि

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिसूचित की धारा 133 के तहत इंड एएस 36, "परिसंपत्तियों की क्षति" के संदर्भ में निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत संपत्ति की हानि पर आकलन किया है। अधिनियम, 2013 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के साथ पढ़ा जाए। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि क्षति के लिए प्रावधान किया गया है।

15. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रावधान

क. आकस्मिक देयताएं

(i) कंपनी के प्रति दावों को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

ख. आकस्मिक संपत्ति

रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक संपत्तियां शून्य हैं।

ग. प्रतिबद्धता

पूंजी खाते और अन्य पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य है।

16. सेगमेंट रिपोर्टिंग

(i) सामान्य जानकारी

प्रचालनिक सेगमेंट को उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए निरंतर वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए और कार्यनिष्पादन का आकलन किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल है मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम)। कंपनी महाराष्ट्र राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यवसाय में कार्यरत है और चीफ ऑपरेटिंग डिसेजन मेकर (सीओडीएम), एक सेगमेंट के रूप में व्यवसाय के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है, इसलिए इंड एस 108 की आवश्यकताओं के अनुसार इसे किसी अलग सेगमेंट में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) भौगोलिक सूचना की जानकारी

चूंकि कंपनी एक ही भौगोलिक खंड अर्थात् भारत में कार्यरत है, इसलिए अलग से किसी भौगोलिक खंड का प्रकटन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी

1.74 लाख रुपये का राजस्व, एकल ग्राहक अर्थात् एनएचएआई से प्राप्त होता है, जो कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है।

17. वित्तीय प्रबंधन जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य, कंपनी के संचालन का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में, प्राप्य और नकद और अल्पकालिक जमा राशियां शामिल हैं। वित्तीय साधनों के उपयोग से कंपनी को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम। यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

कंपनी की गतिविधियां, इसे विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणाली और अभ्यास विकसित करके ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निरीक्षण के लिए निदेशक मंडल पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम तब उत्पन्न होता है, जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी को वित्तीय हानि होता है। ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्षों और अन्य वित्तीय संपत्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी के एक्सपोजर और उसके प्रतिपक्षों की ऋण रेटिंग की प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

नकद और नकदी के समतुल्य

कंपनी के पास 3.89 लाख रुपये के नकद और नकद समकक्ष है। नकद और नकद समकक्ष को मजबूत ऋण रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखा जाता है।

अन्य वित्तीय संपत्ति

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, मुख्य रूप से सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) के तहत बिल न किए गए राजस्व से संबंधित हैं। इन निर्माण परिसंपत्तियों से प्राप्य ऋण जोखिम सीमित है, क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) है, जो भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है।

(i) ऋण जोखिम का खतरा

विवरण	31 मार्च 2022 को
वित्तीय संपत्तियां, जिनके लिए भत्ते का मापन 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों (एलईसीएल) का उपयोग करके किया गया	
नकद और नकदी के समतुल्य	3.89
वित्तीय संपत्तियां, जिनके लिए भत्ते का मापन सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके किया गया	
बिल न किया गया राजस्व	1.74
कुल	5.63

(ii) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

(iii) क्षतिग्रस्तता हानि प्रावधानों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2022 को
आरंभिक भत्ते	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त क्षति हानि	-
अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई	-
कुल	-

ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी, जब वे देय हों, दोनों सामान्य और तनावग्रस्त परिस्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	< 1 वर्ष	>1 वर्ष	कुल
अन्य वित्तीय देयताएं	5.69	-	5.69
कुल	5.69	-	5.69

ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है, जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे कि विदेशी मुद्रा दरों और ब्याज दरों से कंपनी की आय प्रभावित होगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न का अनुकूलन करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। निदेशक मंडल, कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है, जिसमें बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के पास कोई ब्याज-युक्त वित्तीय साधन नहीं है।

18. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) नकद और नकद समकक्ष	-	-	3.89
(ii) अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां	-	-	1.74
	-	-	5.63
वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	5.69
	-	-	5.69

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देयताएं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

ग) 31 मार्च 2022 तक वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मूल्य और उचित मूल्य

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3
परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियां				
(i) नकद और नकद समकक्ष	3.89	-	-	3.89
(ii) अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां	1.74	-	-	1.74
	5.63	-	-	5.63
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	5.69	-	-	5.69
	5.69	-	-	5.69

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्षों, व्यापार देय, और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों / देयताओं का उचित मूल्य इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान प्रस्तुत करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में उपकरण का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

19 पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य, निरंतर आधार पर जारी रहने की क्षमता का संरक्षण करना और शेयरधारकों को इष्टतम प्रतिफल प्रदान करना है। कंपनी की पूंजी संरचना, कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ अपनी नीतिगत और दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं के प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है, ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजार के विश्वास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन और निदेशक मंडल, पूंजी पर प्रतिफल की निगरानी करता है। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने, या यदि आवश्यक हो, तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।

20. राजस्व

क. राजस्व का पृथक्करण

ग्राहक के साथ अनुबंध की प्रकृति के संबंध में, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व की केवल एक प्रकार की श्रेणी है

उत्पाद और सेवाओं का प्रकार	इंड एस 115 के अनुसार राजस्व	निष्पादन दायित्वों के मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण के अनुसार योग
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
राजमार्ग	1.74	1.74	-	-	1.74
कुल	1.74	1.74	-	-	1.74

1.74 लाख रुपये की मान्यता प्राप्त राजस्व समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

ख. अनुबंध संतुलन

विवरण	31 मार्च 2022 को
संविदागत परिसंपत्तियां (नोट 4.2)	1.74
संविदागत दायित्व	-

- i) अनुबंध संपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के विचार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। इसमें निर्माण अनुबंधों के तहत ग्राहकों से बकाया राशि शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है, जब कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है। हालांकि राजस्व को इनपुट पद्धति के तहत अवधि के दौरान स्वीकार किया जाता है। अनुबंध संपत्ति के रूप में पहले से स्वीकृति प्राप्त, किसी भी राशि को संलग्न शर्त की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् भविष्य की सेवा, जिसे बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।

अवधि के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

विवरण	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
अवधि के आरंभ में अनुबंध परिसंपत्ति	-
अवधि के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	1.74
शुद्ध वृद्धि/(कमी)	1.74

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के दौरान बिल न किए गए राजस्व की मान्यता के कारण 1.74 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान बिल न किए गए राजस्व से व्यापार प्राप्तियों में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं है।

ii) निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध देयताएं ग्राहकों के कारण बकाया हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब एक विशेष माइलस्टोन भुगतान इनपुट पद्धति के तहत मान्यता प्राप्त राजस्व और लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम से अधिक हो जाता है। प्राप्त अग्रिम की राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है जब ग्राहक को चालान किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कोई अनुबंध देयताएं नहीं हैं।

ग. नीचे निर्धारित राजस्व की राशि है जिससे मान्यता प्राप्त है:

विवरण	31 मार्च 2022 को
अवधि के आरंभ में अनुबंध देयताओं में शामिल राशि	-
पिछली अवधि में निष्पादित दायित्व संतुष्ट	-

घ. अनुबंध प्राप्त करने की लागत

कंपनी ने किसी ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं ली है और इसलिए, ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है

ड. शेष निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य

शेष निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य, अनुबंध अवधि में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए कार्य/सेवाओं के अनुपात में प्राप्त किया जाएगा।

21 सेवा रियायत व्यवस्था

भारतीय लेखा मानक 115 "सेवा रियायत व्यवस्था" के परिशिष्ट डी के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) व्यवस्था का विवरण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन अकलोल्ली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी किए गए अवार्ड पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) में निर्धारित शर्तों के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है। इरकॉन अकलोल्ली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल) ने दिनांक 27 जनवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके अनुसार एनएचएआई (प्राधिकरण) ने कंपनी को आठ लेन के निर्माण का व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है। भारतमाला परियोजना (द्वितीय चरण-पैकेज XIV) के तहत महाराष्ट्र राज्य में शिरसाड से वड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (बाद में "वड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे कहा

जाता है) के शिरसाड से अकलोली सेक्शन एसपीयूआर तक किमी 3.000 से किमी 20.200 (डिजाइन लंबाई 17.200 किमी) तक पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे हाईब्रिड वार्षिकी आधार पर इसकी आठ लेन ("परियोजना"), जिसे आंशिक रूप से रियायतग्राही द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जो रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले भुगतान के माध्यम से अपने निवेश और लागतों की वसूली करेगा।

ख) व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें

i) रियायत की अवधि: वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्ष।

ii) निर्माण अवधि : नियत तारीख से 548 दिन।

iii) भुगतान शर्तें: बोली परियोजना लागत (बीपीसी) = 1124 करोड़ रुपये। बीपीसी का 40% देय होगा, जो मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित किया जाएगा, और निर्माण अवधि के दौरान प्रत्येक 4% की 10 समान किस्तों में देय होगा और शेष बीपीसी, मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित, देय होगा और 30 द्विवार्षिक किस्तों में देय होगा। सीओडी के 180वें दिन से शुरू हो रहा है।

उक्त समझौते के अनुसार, इरकॉनएएसईएल के पास विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, और परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है, जिसमें सभी परियोजना संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत अवधि के अंत में, यपरिसंपत्ति वापस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएएसईएल को समझौते को समाप्त करने का अधिकार है, यदि वे इस तरह के समझौते के अनुसार चूक की स्थिति को ठीक करने में सक्षम नहीं हैं।

ग) वित्तीय संपत्ति (सेवा रियायत प्राप्य)

कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत 1.74 लाख रुपये की प्राप्य राशि की पहचान की है और इसे अन्य वित्तीय चालू संपत्तियों के तहत दर्शाया गया है, जो इसे दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लक्ष्य के पूरा होने के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगी।

घ) अवधि के दौरान राजस्व और लाभ या हानि का प्रकटीकरण

विवरण	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
अनुबंध राजस्व मान्यता प्राप्त	1.74

व्यय की गई कुल राशि	1.74
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनियम हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	1.74

22 पट्टे

क) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के पास ऐसी कोई पट्टेदारी व्यवस्था नहीं है, जो प्रकृति में रद्द न किए जाने योग्य हो। तदनुसार, कंपनी द्वारा संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय को 12 महीने या उससे कम की पट्टा शर्तों के साथ पट्टे पर लिया है। कंपनी ऐसे पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' मान्यता छूट लागू करती है।

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

विवरण	23/12/2021 से 31/03/2022 की अवधि हेतु
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 10 देखें)	0.50

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी के पास पट्टादाता के रूप में पट्टे की कोई व्यवस्था नहीं है।

23. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2022 हेतु
(क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि उपर्युक्त पर ब्याज	-
(ख)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन द्वारा देय ब्याज की राशि।	-

(ग)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-
(घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि।	-
(ङ.)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-

24. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत नहीं आती है और इस अवधि के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

25. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार प्रकटीकरण:

इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण, निवेश और गारंटी नहीं दी गई है।

26. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन किया है, जो ऐसे प्रकटनों के संबंध में जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटन, उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

- (i) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-560 के तहत वर्ष के दौरान बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।
- (ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

- (iv) कंपनी के पास इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकटन करने के लिए कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं।
- (v) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है, जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।
- (vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ
- (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।
- (vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:
- (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।
- (viii) कंपनी के पास प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।
- (ix) कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।
- (x) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी या गैर सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप घोषित नहीं किया गया है।
- (xi) कंपनी के पास तुलन पत्र की तारीख पर कोई उधार नहीं है और उसे बैंक के साथ वर्तमान संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दर्ज किए गए बयान और खातों की पुस्तकों का मिलान लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार का उपयोग नहीं किया हो, जिसके लिए इसे तुलनपत्र की तारीख में वह लिया गया था।
- (xiii) कंपनी ने इस अवधि के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना(योजनाओं) में प्रवेश नहीं किया है।

- (xiv) कंपनी ने किसी ऐसे लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है, जो लेखाबहियों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत खोज या सर्वेक्षण या किसी अन्य प्रासंगिक) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।
- (xv) कंपनी को इस अवधि के दौरान कोई अनुदान और दान प्राप्त नहीं हुआ है।
- (xvi) कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत प्रगतिरत कार्य, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- (xvii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों को प्रकट किया गया है:

क.सं	विवरण	न्यूमेरेटर	डिनामिनेटर	31 मार्च 2022	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
क)	चालू अनुपात (गुणा में)	चालू संपत्ति	चालू देयताएं	1.44	लागू नहीं	लागू नहीं
ख)	ऋण इक्विटी अनुपात (गुणा में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-	लागू नहीं	लागू नहीं
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुणा में)	ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात निवल लाभ + गैर नकदी प्रचालनिक व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	-	लागू नहीं	लागू नहीं
घ)	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	करों पश्चात शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	-1.31%	लागू नहीं	लागू नहीं
ड)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	बिक्री हेतु सामान की लागत	औसत सूची	-	लागू नहीं	लागू नहीं

च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं
छ)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	निवल ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद प्रतिफल	औसत व्यापार देय	-	लागू नहीं	लागू नहीं
ज)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	0.67	लागू नहीं	लागू नहीं
झ)	शुद्ध लाभ अनुपात (गुणा में)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	-3.71%	लागू नहीं	लागू नहीं
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)	ब्याज और करों पूर्व आय	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	-	लागू नहीं	लागू नहीं
ट)	निवेश पर वापसी (प्रतिशत में)	निवेश से उत्पन्न आय (वित्तीय आय)	निवेश	-	लागू नहीं	लागू नहीं

27. कोविड-19 प्रकटन

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों की राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड -19 से उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कोविड-19 के कारण परिस्थितियों में, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद करती है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमान से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालाँकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी।

28. हाल की गतिविधियां

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया है। ये संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू होते हैं। कंपनी इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

29. अन्य नोट

(i) कंपनी का निगमन दिनांक 23 दिसंबर 2021 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया है और यह कंपनी के निगमन की पहली अवधि है, इसलिए पिछली अवधि के अनुरूप आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ii) इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल) ने दिनांक 27 जनवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके अनुसार एनएचएआई (प्राधिकरण) ने कंपनी को भारतमाला परियोजना (चरण-II, पैकेज- XIV) के तहत महाराष्ट्र राज्य में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (जिसे यहां आगे "वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे कहा जाएगा) के शिरसाड से अकलोली खंड स्पर तक किमी 3.000 से किमी 20.200 (डिजाइन लंबाई 17.200 किमी) को हाईब्रिड वार्षिकी के आधार पर आठ लेन ("प्रोजेक्ट") को आठ लेन के निर्माण का व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है, जिसे आंशिक रूप से रियायतग्राही द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जो रियायत समझौता में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले भुगतान के माध्यम से अपने निवेश और लागतों की वसूली करेगा।

कंपनी, उपरोक्त परियोजना के वित्तपोषित के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 577.77 करोड़ रुपये तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। तुलन पत्र की तारीख को ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

(iii) कंपनी के पास, बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

(iv) प्रबंधन की राय में, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर पिसंपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर इसे तुलन पत्र बैलेंस में दर्शाया गया है।

(v) आंकड़े लाख में निकटतम रूप में पूर्णांकित किए गए।

5. आंकड़ों को लाख रूप के निकटतम अंक में राउंड ऑफ किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 001457एन

ह/-

आर.के. गोयल

साझेदार

आईसीएआई सदस्यता संख्या: 06154

ह/-

मसूद अहमद

(निदेशक)

(डीआईएन:-09008553)

ह/-

मुगुनथन बोजू गौड़ा

(निदेशक)

(डीआईएन:-08517013)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2022

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

संख्या: पी.डी.ए/आर.सी/ AA-IASEL/48-23/2022-23/219

दिनांक: 01.08.2022

सेवा में,

अध्यक्ष

इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली -110017.

विषय: 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड के 23 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्न को सहित प्राप्त की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

ह/-

(विक्रम डी. मुर्रगराज)
प्रधान निर्देशक (रेलवे वाणिज्यक)

संलग्न: यथोपरी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 17 मई, 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 23 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-

(विक्रम डी. मुरुगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2022



इरकाँन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड
(‘इरकाँनएसईएल’)

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-26530266 | फ़ैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: cospv.ircon@gmail.com